International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
e-ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 01(I), January - March, 2026, pp. 76-82

कोविड–पश्चात भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की बदलती प्रवृत्तियाँ एवं प्रबंधन रणनीतियाँ: एक तुलनात्मक अध्ययन (2020–2025)

Dr. Suman Kumari[1*] | Dr. Kumari Deepa Rani[2]

[1]Teacher, Utkramit Madhyamik School, Bhadeya.
[2]Assistant Professor, University Department of Economics, Magadh University, Bodh Gaya.

[*]Corresponding Author: kumarideeparani@gmail.com

Citation: Kumari, S. & Rani, K. (2026). कोविड–पश्चात भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की बदलती प्रवृत्तियाँ एवं प्रबंधन रणनीतियाँ: एक तुलनात्मक अध्ययन (2020–2025). International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(01(I)), 76–82. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.1(I).8613

सार

प्रस्तुत शोध पत्र कोविड–19 महामारी के पश्चात (2020–2025) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियों (अनर्जक परिसंपत्तियाँ) की बदलती प्रवृत्तियों एवं उनके प्रबंधन हेतु अपनाई गई रणनीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राथमिक केस के रूप में लिया गया है। शोध में द्वितीयक डेटा, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, बैंकों की बैलेंस शीट एवं वित्त मंत्रालय के दस्तावेज़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर महामारी के दौरान अनर्जक परिसंपत्तियाँ में वृद्धि की आशंका थी, वहीं सरकारी नीतियों, दिवाला और दिवालियापन संहिता (दिवाला एवं दिवालियापन संहिता), नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड) एवं बैंकों के आंतरिक सुधारों के कारण अनर्जक परिसंपत्तियाँ में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यह शोध पत्र नीति–निर्माताओं, बैंकरों एवं शोधकर्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

शब्दकोश: *अनर्जक परिसंपत्तियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कोविड–19, दिवाला और दिवालियापन संहिता, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ऋण वसूली, बैंकिंग सुधार।*

प्रस्तावना

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका अत्यंत निर्णायक है, क्योंकि ये संस्थाएँ व्यक्तियों, उद्योगों एवं सरकारों को ऋण प्रदान करके आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देती हैं। परंतु जब ये ऋण समय पर वापस नहीं आते, तो वे श्अनर्जक परिसंपत्तियाँश बन जाते हैं, जो बैंकों की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

वर्ष 2020 में कोविड–19 महामारी के आगमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व आघात पहुँचाया। लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उद्योगों का ठप होना और बेरोज़गारी में वृद्धि – इन सभी कारणों ने ऋण चुकौती की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

ऋण मोरेटोरियम की घोषणा की, जिससे अनर्जक परिसंपत्तियाँ की वास्तविक स्थिति कुछ समय के लिए छिपी रही। परंतु मोरेटोरियम की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में अनर्जक परिसंपत्तियाँ की समस्या पुनः उभरकर सामने आई। इस पृष्ठभूमि में, प्रस्तुत शोध पत्र यह जाँचने का प्रयास करता है कि 2020 से 2025 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियाँ की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार बदली हैं और बैंकों ने इस चुनौती से निपटने के लिए कौन–कौन सी रणनीतियाँ अपनाई हैं।

साहित्य समीक्षा

अनर्जक परिसंपत्तियाँ की समस्या पर भारत में व्यापक शोध हुआ है। विभिन्न अध्ययनों ने इसके कारणों, प्रभावों एवं समाधानों पर प्रकाश डाला है। मिश्रा और ढाल (2010) ने अपने अध्ययन में बताया कि बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियाँ वृद्धि मुख्यतः आर्थिक मंदी, कमज़ोर ऋण मूल्यांकन एवं राजनीतिक दबाव के कारण होती है। चौधरी और शर्मा (2011) ने पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियाँ का स्तर निजी बैंकों की तुलना में अधिक रहा है, जिसका प्रमुख कारण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की अनिवार्यता है।

राजीव और महेश (2010) ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया और पाया कि इस अधिनियम ने अनर्जक परिसंपत्तियाँ वसूली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौर और सिंह (2018) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए बताया कि यह संहिता अनर्जक परिसंपत्तियाँ समाधान हेतु एक क्रांतिकारी कदम है।

कोविड–पश्चात परिदृश्य पर भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2021, 2022, 2023) में विस्तार से चर्चा की गई है। इन रिपोर्टों में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सहायता, पुनर्गठन नीतियों एवं बैंकों के सुधारात्मक प्रयासों के कारण अनर्जक परिसंपत्तियाँ में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। शर्मा और गुप्ता (2022) ने पाया कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना ने बैड बैंक अवधारणा को मूर्त रूप दिया और बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने में सहायता प्रदान की।

उपर्युक्त अध्ययनों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि 2020द्2025 की अवधि में अनर्जक परिसंपत्तियाँ प्रबंधन पर एक समग्र तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, जिसे प्रस्तुत शोध पत्र पूरा करने का प्रयास करता है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

- 2020–2025 की अवधि में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियाँ की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के अनर्जक परिसंपत्तियाँ स्तरों की तुलना करना।
- अनर्जक परिसंपत्तियाँ प्रबंधन हेतु अपनाई गई सरकारी एवं बैंकिंग रणनीतियों का मूल्यांकन करना।
- कोविड–19 के बैंकिंग क्षेत्र पर पड़े दीर्घकालिक प्रभावों की पड़ताल करना।
- भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध पूर्णतः द्वितीयक डेटा पर आधारित है। डेटा के स्रोत निम्नलिखित हैं: – भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2020–2025), भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की वार्षिक रिपोर्टें, वित्त मंत्रालय एवं बैंकिंग विभाग के प्रकाशन, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दिवाला और

दिवालियापन संहिता एवं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 से संबंधित सरकारी दस्तावेज़, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, डेटा विश्लेषण हेतु प्रतिशत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण एवं तुलनात्मक सारणियों का उपयोग किया गया है।

अनर्जक परिसंपत्तियाँ (एनपीए): अवधारणा एवं वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी ऋण खाते में मूलधन या ब्याज की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक अदा नहीं होती, तो उसे अनर्जक परिसंपत्तियाँ (एनपीए) घोषित किया जाता है। अनर्जक परिसंपत्तियाँ को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- **अवमानक परिसंपत्तियाँ:** वे ऋण जो 12 महीनों से कम समय के लिए अनर्जक परिसंपत्तियाँ रहे हों।
- **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ:** वे ऋण जो 12 महीनों से अधिक समय से अवमानक श्रेणी में हों।
- **हानि परिसंपत्तियाँ:** वे ऋण जिन्हें बैंक या लेखापरीक्षक द्वारा पूर्णतः अवसूलीय घोषित कर दिया गया हो।

अनर्जक परिसंपत्तियाँ दो प्रकार से मापा जाता है:

- सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ (कुल अनर्जक परिसंपत्तियाँ) – कुल अनर्जक ऋणों का कुल अग्रिम से प्रतिशत, और
- शुद्ध अनर्जक परिसंपत्तियाँ (शुद्ध अनर्जक परिसंपत्तियाँ) – प्रावधानों को घटाने के पश्चात शेष अनर्जक परिसंपत्तियाँ का प्रतिशत।

कोविड–पश्चात अनर्जक परिसंपत्तियाँ प्रवृत्तियाँ (2020–2025)

सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ अनुपात (सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ अनुपात) – सभी PSU बैंक (समग्र)

वर्ष	सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ (₹ लाख करोड़)	सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ अनुपात (%)	शुद्ध अनर्जक परिसंपत्तियाँ अनुपात (%)
2019-20	7.96	9.36	3.65
2020-21	7.43	9.54	3.41
2021-22	7.28	7.28	2.65
2022-23	4.28	5.00	1.24
2023-24	3.16	3.69	0.85
2024-25*	2.80	3.10	0.70

'2024–25 के आँकड़े अनुमानित (भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, Dec 2024 के आधार पर)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2020–21 में अनर्जक परिसंपत्तियाँ अनुपात में मामूली वृद्धि (9.36% से 9.54%) देखी गई, परंतु इसके बाद निरंतर गिरावट का क्रम रहा। 2022–23 तक यह 5% तक पहुँच गया और 2023–24 में 3.69% के स्तर पर आ गया, जो 2015 के बाद सबसे कम है। यह सुधार नीतिगत हस्तक्षेपों, दिवाला और दिवालियापन संहिता प्रक्रियाओं एवं बैंकों की सक्रिय वसूली कार्रवाई का परिणाम है।

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एवं बैंक ऑफ बड़ौदा: तुलनात्मक अनर्जक परिसंपत्तियाँ विश्लेषण

बैंक	2019-20 अनर्जक परिसंपत्तियाँ %	2020-21 अनर्जक परिसंपत्तियाँ %	2021-22 अनर्जक परिसंपत्तियाँ %	2022-23 अनर्जक परिसंपत्तियाँ %	2023-24 अनर्जक परिसंपत्तियाँ %
भारतीय स्टेट बैंक	6.15	4.98	3.97	2.78	2.24
पंजाब नेशनल बैंक	14.21	14.12	11.78	8.74	5.73
बैंक ऑफ बड़ौदा	9.40	8.48	7.25	4.53	2.92

स्रोत: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की वार्षिक रिपोर्ट (2020–2024)

- **भारतीय स्टेट बैंक:** भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 2019–20 में 6.15% का अनर्जक परिसंपत्तियाँ 2023–24 में घटकर 2.24% पर आ गया। भारतीय स्टेट बैंक की मज़बूत वसूली तंत्र, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का सक्रिय उपयोग एवं एकमुश्त निपटान नीतियों ने इस सुधार में योगदान दिया।
- **पंजाब नेशनल बैंक:** पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति 2019–20 में अत्यंत गंभीर थी (14.21%)। महामारी के बावजूद बैंक ने सुधारात्मक कदम उठाए और 2023–24 तक अनर्जक परिसंपत्तियाँ 5.73% तक लाने में सफल रहा। हालाँकि यह अन्य बैंकों की तुलना में अभी भी अधिक है।
- **बैंक ऑफ बड़ौदा:** बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2019–20 में 9.40% अनर्जक परिसंपत्तियाँ से शुरुआत कर 2023–24 में 2.92% पर लाने में उल्लेखनीय प्रगति की। विजया बैंक एवं देना बैंक के विलय के पश्चात बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मज़बूत किया।

गैर–निष्पादित परिसंपत्ति वृद्धि के कारणरू कोविड–19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी ने गैर–निष्पादित परिसंपत्ति समस्या को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित किया:

- **आर्थिक गतिविधियों का ठहराव:** राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण एमएसएमई, होटल, पर्यटन, विमानन एवं खुदरा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों को दिए गए ऋणों का भुगतान रुक गया।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक मोरेटोरियम का प्रभाव:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च से अगस्त 2020 तक 6 माह का ऋण मोरेटोरियम प्रदान किया। इससे तात्कालिक दबाव कम हुआ, परंतु साथ ही गैर–निष्पादित परिसंपत्तिकी वास्तविक पहचान में देरी भी हुई।
- **मुद्रास्फीति एवं ब्याज दर:** महामारी के पश्चात वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव से ऋणियों की लागत प्रभावित हुई, जिससे चुकौती क्षमता पर दबाव बढ़ा।
- **कॉर्पोरेट ऋण संकट:** कई बड़े कॉर्पोरेट समूहों ने महामारी का हवाला देकर ऋण पुनर्गठन की माँग की। इससे सार्वजनिक बैंकों के बड़े ऋण खातों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तिवर्गीकरण का जोखिम बढ़ा।
- **कृषि एवं ग्रामीण ऋण:** कृषि क्षेत्र में ऋण माफी की राजनीतिक मांगों एवं अनियमित वर्षा के कारण कृषि ऋणों के गैर–निष्पादित परिसंपत्तिबनने की संभावना भी बढ़ी।

गैर–निष्पादित परिसंपत्तिप्रबंधन रणनीतियाँ

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बैंकों ने मिलकर गैर–निष्पादित परिसंपत्तिनियंत्रण हेतु बहुआयामी रणनीतियाँ अपनाईं:

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 का सुदृढ़ीकरण

आईबीसी 2016 भारतीय ऋण वसूली तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इस संहिता के अंतर्गत एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) के माध्यम से दिवालिया कंपनियों की परिसंपत्तियों की नीलामी एवं समाधान प्रक्रिया 330 दिनों में पूरी की जाती है। 2020–2024 के दौरान आईबीसी के अंतर्गत लगभग ₹3.16 लाख करोड़ की वसूली हुई। बड़े मामलों जैसे एस्सार स्टील, भूषण पावर और जेट एयरवेज में आईबीसी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नारक्ल (नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) की स्थापना

सितंबर 2021 में सरकार ने श्बैड बैंकश की अवधारणा पर आधारित नारक्ल की स्थापना की। नारक्ल का उद्देश्य बैंकों की बड़ी गैर–निष्पादित परिसंपत्ति परिसंपत्तियों को अपने पास स्थानांतरित करना है, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट स्वच्छ हो सके। नारक्ल एवं आईडीआरसीएल (इंडिया डेट रिज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड) मिलकर ₹2 लाख करोड़ से अधिक के तनावग्रस्त ऋणों का समाधान करने का लक्ष्य रखते हैं।

सरफेसी अधिनियम एवं डीआरटी का प्रभावी उपयोग

सरफेसी (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002) के अंतर्गत बैंकों को बिना न्यायालय के सहारे गिरवी रखी संपत्तियों की नीलामी का अधिकार है। 2020–2024 के दौरान सरफेसी के माध्यम से ₹1.47 लाख करोड़ की वसूली हुई। ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में मामलों के त्वरित निपटान हेतु डिजिटल सुनवाई एवं ई–फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) एवं ऋण पुनर्गठन

महामारी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोविड –19 नियामक पैकेज के अंतर्गत ऋण पुनर्गठन की अनुमति दी। केवी कामथ समिति की सिफारिशों के आधार पर 5 प्रमुख क्षेत्रों (बिजली, निर्माण, लोहा एवं इस्पात, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) के लिए विशेष पुनर्गठन नीति बनाई गई। ओटीएस के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम ऋण खातों में 30–50% की छूट देकर तत्काल वसूली की गई।

प्रौद्योगिकी एवं डेटा विश्लेषण का उपयोग

बैंकों ने कृत्रिम होशियारी एवं मशीन लर्निंग आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ (ईडब्ल्यूएस) विकसित किए, जो ऋण खातों में तनाव के संकेत समय रहते प्रदान करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के सीआरआईएलसी (बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार) पोर्टल के माध्यम से बड़े ऋण खातों की वास्तविक समय निगरानी होती है। डिजिटल ऋण वितरण प्रणाली ने ऋण मूल्यांकन को अधिक वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाया।

पूँजी पर्याप्तता एवं बैंक पुनर्पूँजीकरण

सरकार ने 2020दृ23 के दौरान पीएसयू बैंकों में ₹58,697 करोड़ की पूँजी डाली। इससे बैंकों का सीआरएआर (पूंजी से जोखिम–भारित संपत्ति अनुपात) बेहतर हुआ और वे बड़े प्रावधान करने में सक्षम हुए। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य बैंकों ने क्यूआईपी (योग्य संस्थागत प्लेसमेंट) के माध्यम से भी पूँजी जुटाई।

क्षेत्रवार गैर–निष्पादित परिसंपत्तिविश्लेषण

गैर–निष्पादित परिसंपत्तिका बोझ सभी क्षेत्रों में समान नहीं रहा। निम्न तालिका 2023–24 की स्थिति दर्शाती है:

क्षेत्र	गैर-निष्पादित परिसंपत्तिका अनुमानित योगदान (%)	प्रमुख कारण
उद्योग	48%	कॉर्पोरेट ऋण संकट, माँग में कमी
सेवा क्षेत्र	22%	पर्यटन, होटल, खुदरा प्रभावित
कृषि	18%	ऋण माफी, अनिश्चित उत्पादन
व्यक्तिगत ऋण	12%	नौकरी जाना, EMI बकाया

उद्योग क्षेत्र अब भी गैर–निष्पादित परिसंपत्तिका सबसे बड़ा स्रोत है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों जैसे – ऊर्जा, इस्पात एवं रियल एस्टेट क्षेत्र कृ में ऋण वसूली सबसे चुनौतीपूर्ण रही। दूसरी ओर, खुदरा ऋण (होम लोन, ऑटो लोन) में गैर–निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा क्योंकि इन ऋणों में संपार्श्विक सुरक्षा मज़बूत होती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- 2020–2025 की अवधि में पीएसयू बैंकों का सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 9.54% से घटकर लगभग 3.1% के स्तर पर आ गया – यह एक दशक में सबसे बड़ा सुधार है।

- भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया (सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए): 6. 15% → 2.24%), जबकि पंजाब नेशनल बैंक अभी भी उच्च गैर–निष्पादित परिसंपत्तिके बोझ से उबरने की प्रक्रिया में है।
- आईबीसी एवं नारक्ल ने गैर–निष्पादित परिसंपत्ति समाधान को गति प्रदान की। आईबीसी के माध्यम से 2020–24 में ₹3 लाख करोड़ से अधिक की वसूली हुई।
- कोविड मोरेटोरियम ने अल्पकालिक राहत दी, परंतु इसने गैर–निष्पादित परिसंपत्ति वर्गीकरण में देरी भी की जिससे 2021–22 में तनावग्रस्त ऋणों में एकाएक वृद्धि देखी गई।
- प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी (ईडब्ल्यूएस, सीआरआईएलसी) ने गैर–निष्पादित परिसंपत्तिकी शीघ्र पहचान एवं समाधान में सहायता की।
- पूँजी पुनर्पूँजीकरण से बैंकों की वित्तीय सेहत सुधरी और वे नए ऋण देने में सक्षम हुए।
- एमएसएमई क्षेत्र में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने छोटे व्यवसायों को सहारा दिया और इस क्षेत्र में गैर–निष्पादित परिसंपत्तिमें अपेक्षित वृद्धि को रोका।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

यद्यपि गैर–निष्पादित परिसंपत्तिप्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी कई चुनौतियाँ शेष हैं:

- **एनसीएलटी में मामलों का अत्यधिक बोझ:** आईबीसी की समयसीमा 330 दिन है, परंतु अनेक मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। एनसीएलटी में न्यायपीठों की कमी एक गंभीर समस्या है।
- **प्रमोटरों द्वारा कानूनी अवरोध:** बड़े कॉर्पोरेट अनेक न्यायिक चुनौतियों के माध्यम से आईबीसी प्रक्रिया को विलंबित करते हैं, जिससे बैंकों की वसूली प्रभावित होती है।
- **नारक्ल की सीमित सफलता:** नारक्ल को अपेक्षित गति से परिसंपत्तियाँ नहीं मिली हैं। बैंकों का उचित मूल्य निर्धारण पर मतभेद इसमें बाधक है।
- **राजनीतिक दबाव:** कृषि एवं एमएसएमई ऋण माफी की राजनीतिक माँगें बैंकों के गैर–निष्पादित परिसंपत्तिप्रबंधन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
- **वैश्विक अनिश्चितता:** भू–राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति एवं वैश्विक मंदी की आशंका से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर नए दबाव उत्पन्न हो सकते हैं।

सुझाव एवं नीतिगत निहितार्थ

- **एनसीएलटी को सुदृढ़ किया जाए:** अधिक न्यायपीठों की स्थापना एवं डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया से आईबीसी मामलों का त्वरित निपटान संभव होगा।
- **नारक्ल को गति मिले:** बैंकों एवं नारक्ल के बीच मूल्य निर्धारण विवादों का समाधान हो और परिसंपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल बनाई जाए।
- **ऋण मूल्यांकन में कृत्रिम होशियारी का उपयोग:** बैंकों को ऋण स्वीकृति के समय ही कृत्रिम होशियारी आधारित जोखिम मूल्यांकन प्रणाली अपनानी चाहिए।
- **एमएसएमई के लिए विशेष गैर–निष्पादित परिसंपत्तिनीति:** इस क्षेत्र की विशेषताओं को देखते हुए एक लचीली, परंतु अनुशासित पुनर्गठन नीति तैयार की जाए।
- **बैंकिंग प्रशासन में सुधार:** पीएसयू बैंकों के बोर्डों में स्वतंत्र पेशेवर निदेशकों की नियुक्ति से राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा।
- **वित्तीय साक्षरता:** ऋणियों को ऋण चुकौती के महत्त्व एवं गैर–निष्पादित परिसंपत्तिके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र से स्पष्ट होता है कि कोविड–19 महामारी के बावजूद भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2020–2025 के दौरान गैर–निष्पादित परिसंपत्तिप्रबंधन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह सुधार केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक परिवर्तन का परिचायक है – जहाँ आईबीसी, नारक्ल, सरफेसी एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी मिलकर एक सक्षम गैर–निष्पादित परिसंपत्तिसमाधान तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जिन बैंकों ने सुशासन, तकनीकी उन्नयन एवं सक्रिय वसूली नीतियों को प्राथमिकता दी, उन्होंने बेहतर परिणाम प्राप्त किए। पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण यह भी सिखाता है कि बड़े धोखाधड़ी मामलों (जैसे – नीरव मोदी घोटाला) का दीर्घकालिक प्रभाव कितना गहरा होता है और इनसे बचाव के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कितना मज़बूत करना आवश्यक है।

आगामी वर्षों में, यदि वैश्विक अनिश्चितताओं एवं घरेलू चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन किया गया, तो भारतीय पीएसयू बैंक 2025 के बाद एक स्वस्थ एवं सक्षम बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण करने में सफल होंगे – जो देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2021, 2022, 2023, 2024). वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट. भारतीय रिज़र्व बैंक प्रकाशन, मुंबई.
2. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2020–2024). वार्षिक रिपोर्ट. भारतीय रिज़र्व बैंक प्रकाशन, मुंबई.
3. भारतीय स्टेट बैंक. (2020–2024). वार्षिक रिपोर्टें. भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई.
4. पंजाब नेशनल बैंक. (2020–2024). वार्षिक रिपोर्टें. पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली.
5. बैंक ऑफ बड़ौदा. (2020–2024). वार्षिक रिपोर्टें. बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई.
6. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2021). केंद्रीय बजट 2021–22: बैड बैंक की घोषणा. नई दिल्ली.
7. मिश्रा, बी.एम., एवं ढाल, एस. (2010). भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनर्जक ऋणों का चक्रीय प्रबंधन. बीआईएस एशियाई शोध पत्र.
8. चौधरी, के., एवं शर्मा, एम. (2011). भारतीय सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों का तुलनात्मक प्रदर्शन अध्ययन. अंतर्राष्ट्रीय नवाचार, प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी पत्रिका, 2(3), 249–256.
9. कौर, जी., एवं सिंह, बी. (2018). दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के माध्यम से अनर्जक परिसंपत्तियों का समाधानः अवसर एवं चुनौतियाँ. वाणिज्य एवं लेखा अनुसंधान पत्रिका, 7(2), 11–20.
10. शर्मा, ए., एवं गुप्ता, पी. (2022). राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एवं बैड बैंकः भारत के अनर्जक परिसंपत्ति संकट के समाधान की दिशा में एक कदम. भारतीय वित्त पत्रिका, 16(4), 22–35.
11. दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया. (2020–2024). त्रैमासिक समाचार पत्रिका. नई दिल्ली.
12. राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड. (2022–2024). वार्षिक रिपोर्ट. राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, मुंबई.
13. के.वी. कामत समिति रिपोर्ट. (2020). कोविड–19 संबंधित वित्तीय तनाव के समाधान हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट. भारतीय रिज़र्व बैंक.
14. सेनगुप्ता, आर., एवं वर्धन, एच. (2017). भारतीय बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियाँः इस बार स्थिति भिन्न है. आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 52(12), 85–95.
15. बावा, जे.के., गोयल, वी., मित्रा, एस.के., एवं बसु, एस. (2019). शहरी सहकारी बैंकों एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में अनर्जक परिसंपत्ति स्तरों का विश्लेषण. वित्तीय आर्थिक नीति पत्रिका, 11(1), 59–72.

❑❑❑